न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 98/2012

(आरसीएमएस नम्बरः— 2012/00006)

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर

..............................प्रार्थी

बनाम

1—निहालसिंह । पुत्रगण । समस्त जातिगण ठाकुर
2—रामवोर । ज्वालासिंह । समस्त निवासीगण ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

3—विज्जो पुत्री ज्वालासिंह पत्नी स्व0 गजाधर सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम लहचोरा तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0

4—रामदुलारी पुत्री ज्वालासिंह पत्नी दशरथसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम आंगई तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर । ....अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थीगण की ओर से — श्री विनोद भार्गव एडवोकेट

निर्णय दिनांक 24.8.2018

तहसीलदार राजाखेडा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 866 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर मुताबिक खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2022 के अनुसार उक्त

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी खसरा नम्बर 866 रकवा 01 वीधा 02 विस्वा भूमि श्री ज्वालाप्रसाद पुत्र मंगलिया जाति ठाकुर निवासी ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा को नियमन की गई थी जिसका नामान्तकरण संख्या 258 ग्राम हथवारी से उक्त आबंटी के नाम गैर खातेदार दर्ज होकर दिनांक 30.11.1973 को निर्णित हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1878 दिनांक 21.10.2000 द्वारा गैर खातेदार से उक्त अप्रार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। उक्त विवादित आराजी की नियमन से पूर्व किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 में उक्त प्रकरेण भूमि का नियमन प्रतिबन्धित है। अतः उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 258 एवं 1878 नियम बिरूद्व स्वीकृत हुये है। अतः रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का हथवारी, नक्शा ट्रेस, खतौनी बन्दोवस्त सम्बत 2022 ग्राम हथवारी, नकल नामान्तरकरण संख्या 258, नकल नामान्तरकरण संख्या 1878 ग्राम हथवारी, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री विनोद कुमार भार्गव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकिन नाला नहीं रही बल्कि काश्त की आराजी है। ज्वालाप्रसाद को विवादित आराजी विधिवत रूप से नियमन हुई थी जिस पर उनके जीवनकाल तक उनका कब्जा काश्त रहा वर्तमान में उनके वारिसान काबिज काश्त है। नामान्तकरण कमांक 258 ग्राम हथवारी नियमन आदेश के माध्यम से खोला गया है जब तक नियमन आदेश वजूद में है नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। नामान्तकरण के विरूद्व रैफरेन्स का क्षेत्राधिकार निदेशक भू अभिलेख को है। श्रीमान को नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

वहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी नियमन से पूर्व किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रेकार्ड थी। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन नाला पर खातेदारी देय नहीं है। उक्त अधिनियम में गैरमुमकिन भूमि के आवटंन/नियमन नल एण्ड वोयड है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 258 एवं 1878 ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा नियम विरूद्व स्वीकृत हुऐं है। उक्त रेफरेन्स जनहित याचिका अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8. 2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाव, पानी का

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

भराव में किसी प्रकार बाधा नही हो। इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है। प्रकरण में तहसीलदार राजाखेडा से जो मौका रिर्पाट प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी उक्त विवादित आराजी जो पूर्व में गैर मुमकिन नाला रही है एवं यह गैर मुमकिन नाला अन्य भूमि से सटी हुई है। Water Flow Channel के स्थित आराजी पर धारा 16 आर.टी.एक्ट प्रभावी होती है एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं हो सकते है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर प्रकरण स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकिन नाला नहीं रही बल्कि काश्त की आराजी है। ज्वालाप्रसाद को विवादित आराजी विधिवत रूप से नियमन हुई थी जिस पर उनके जीवनकाल तक उनका कब्जा काश्त रहा वर्तमान में उनके वारिसान काविज काश्त है। नामान्तकरण क्रमांक 258 ग्राम हथवारी नियमन आदेश के माध्यम से खोला गया है जब तक नियमन आदेश वजूद में है नामान्तकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। तहसीलदार राजाखेडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 7.8.2018 के अनुसार उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर गैर मुमकिन नाला से सटा हुआ है राजस्व नक्शा लटठा में गैर मुमकिन नाला का खसरा नम्बर अंकित नहीं होना बताया है। अतः रैफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का हथवारी, नक्शा ट्रेस, खतौनी बन्दोवस्त सम्बत 2022 ग्राम हथवारी, नकल नामान्तरकरण संख्या 258, नकल नामान्तरकरण संख्या 1878 ग्राम हथवारी, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 2070 ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है उक्त विवादित आराजी खतौनी बन्दोवस्त सम्बत 2022 ग्राम हथवारी राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन नाला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में उक्त प्रकरेण भूमि का आवटंन/नियमन प्रतिबन्धित है। प्रकरण में तहसीलदार राजाखेडा से जो मौका रिर्पाट प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी उक्त विवादित आराजी जो पूर्व में गैर मुमकिन नाला रही है एवं यह गैर मुमकिन नाला अन्य भूमि से सटी हुई है। Water Flow Channel के स्थित आराजी पर धारा 16 आर.टी.एक्ट प्रभावी होती है एवं खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं हो सकते है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाव, पानी का भराव में किसी प्रकार बाधा नही हो

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में निर्देश दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में दिये निर्देश अनुसार आराजी खसरा नम्बर 866 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर किस्म गैर मुमकिन नाला का नियमन नल एण्ड वॉयड है जिसको कि निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना आवश्यक है।

अतः ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा के आराजी खसरा नम्बर 866 रकवा 01 बीघा 02 विस्वा वाके ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर किस्म गैर मुमकिन नाला जिसका कि नियमन के पश्चात नामान्तकरण संख्या 258 से श्री ज्वालाप्रसाद पुत्र मंगलिया जाति ठाकुर निवासी ग्राम हथवारी तहसील राजाखेडा को गैर खातेदार दर्ज होकर दिनांक 30.11.1973 को निर्णित हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1878 दिनांक 21.10.2000 द्वारा गैर खातेदार से उक्त अप्रार्थीगण के नाम खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। उक्त अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी एवं खातेदारी अधिकार निरस्ती हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.9.2018 नियत की जाती है। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner